## Payment of royalty to States

5423. SHRI SOMAPPA R. BOMMAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the total annual revenue of the Central Government from the production of coal, marble, granite, petroleum products and other natural resources in various States in the country;

(b) what is the annual share of the State Governments in the revenue;

(c) whether Government have received representations from the State Governments for payment of royalty at ad-valorem basis for production of these commodities; and

(d) if so, what is the decision, of any, taken by the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) The total annual revenue of the Central Government from the production of coal & coke, petroleum products and marble, asbestos and other mineral substances (excluding cement clinkers, cement, all sorts) and granite during 1994-95 is estimated to be Rs. 5650 crores.

(b) The net proceeds of Union Excise Duties are paid and distributed to the States on the basis of recommendations of Ninth Finance Commission. The proceeds of cess are not shareable with State Governments.

(c) Yes sir.

(d) In so far as major minerals are concerned, the Government has found that the balance of convenience lies in continuing the royalty rates on tonnage basis. As for coal, no decision has been taken as yet on fixation of royalty rates on ad valorem basis.

## कागज पर उत्पाद शुल्क

5424. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कागज पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण पाठ्य पुस्तकों तथा लेखन सामग्री में लगातार वृद्धि होने के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1994-95 के बजट में, लकड़ी के गूदे से कागज तैयार करने वाली मिलों द्वारा बनाये गये लिखाई और छपाई के कागज पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत ही रहने दिया गया है। तथापि, कम से कम 50% अपरम्परागत सामग्रियों से बनाये गये ऐसे कागज पर, मात्रानुसार और मात्रानुसार एवं मूल्यानुसार दरों के स्थान पर क्रमश: 10% और 15% की विशुद्ध मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क दरें लगायी गयी थीं। कम से कम 75 प्रतिशत अपरम्परागत सामग्रियों से निर्मित कागज के संबंध में, उत्पाद शुल्क के छूट के स्थान पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था, जिसे बाद में घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में, शायद लिखाई और छपाई के कागज पर उत्पाद शुल्क की राशि में वृद्धि हो गयी हो।

(ख) और (ग) पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गयी है। इसके अलावा, पाठ्य पुस्तकों अथवा सामान्य प्रकार की अन्य पुस्तकों की छपाई के लिए विनिर्दिष्ट कागज पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है; चूंकि इस छूट को जारी रखा गया है, इसलिए सामान्यतया इस कारण से पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक लेखन सामग्री का संबंध है, कागज पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के कारण, इसमें कुछ मामूली सी वृद्धि हो सकती है। तथापि, कागज पर उत्पाद शुल्क में किये गये परिवर्तनों के कारण पड़ने वाले संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 75% अपरम्परागत कच्ची सामग्रियों से निर्मित कागज पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटा कर 5% कर दिया है।

## Enhancement of Taxes on Tractors

5425. SHRI S. S. SURJEWALA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the parts being used in the manufacture of 25 H. P. tractors were being charged sales tax, etc. at lower rate to keep the price of tractor from rising very high;

(b) whether all these concessions have been withdrawn in the current Budget making small